फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

भरत पण्डिया निवासी सेवन्त्री तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द — प्रत्यर्थी

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 104/2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 30.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :— सू.अ,05/2025/70 दिनांक 27.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से संबंधित होने से कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/64 दिनांक 25.11.2025 संबंधित विभाग को अंतरण कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया गया। साथ ही उक्त संबंध में प्रार्थी को सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वांछित सूचना हेतु उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ को जरिये पत्रांक 1682 दिनांक 17.12.2025 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 1, 2, 4, 6 से संबंधित सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित है एवं इस हेतु कार्यालय द्वारा मूल आवेदन पत्र संबंधित सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग गढ़बोर को प्रेषित किया गया एवं बिन्दु संख्या 3 की सूचना के संबंध में प्रार्थी को वर्तमान नजरी नक्शा उपलब्ध कराया गया एवं बिन्दु संख्या 5 में चाही गई सूचना सृजनात्मक श्रेणी की सूचना है।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

चाही गई बिन्दु संख्या 1, 2, 4, 6 से संबंधित सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित होने से उक्त सूचना हेतु मूल आवेदन पत्र सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग गढ़बोर को प्रेषित कर प्रार्थी को सूचित किया गया एवं बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवायी गयी तथा बिन्दु संख्या 5 में चाही गई सूचना सृजनात्मक श्रेणी की सूचना होने से उपलब्ध नहीं करवायी गयी।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 1, 2, 4, 6 सूचना अन्य विभाग से संबंधित होने से मूल ही आवेदन पत्र संबंधित विभाग को प्रेषित कर प्रार्थी को सूचित किया गया तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाये जाने तथा बिन्दु संख्या 5 में चाही गई सूचना सृजनात्मक श्रेणी की सूचना होने से उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द, उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ तथा तहसीलदार गढ़बोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)